भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1535

उत्तर देने की तारीख: 29.07.2025

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास

1535. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में संचालित अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए छात्रावासों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त छात्रावासों में अवसंरचना, क्षमता और मौजूदा छात्रों की संख्या की क्या स्थिति है;
(ग) क्या उक्त छात्रावास पूरी तरह से कार्यात्मक हैं और रिक्तियों की संख्या कितनी है;
(घ) यदि हाँ, तो लिंग और श्रेणी के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में वर्तमान में रहने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है;
(ङ) क्या सरकार मौजूदा छात्रावासों का उन्नयन या विस्तार कर रही है या वंचित क्षेत्रों में नए छात्रावास स्थापित करने की योजना बना रही है; और
(च) यदि हाँ, तो प्रस्तावित परियोजनाओं, अवस्थिति योजना और उक्त परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के छात्रावास घटक के अंतर्गत, अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए नए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास होते हैं। 2007-08 से अब तक इस घटक के अंतर्गत 909 छात्रावास (544 बालिकाएं और 365 बालक) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 74,629 लाभार्थी शामिल हैं। इनमें से 771 छात्रावासों के पूर्ण होने की सूचना है। राज्यवार विवरण संलग्नक-I में दिया गया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के छात्रावास घटक का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किया जाता है और प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावासों की वर्तमान स्थिति, क्षमता और मौजूदा छात्रों की संख्या के बारे में विवरण के रखरखाव की जिम्मेदारी कार्यान्वयन एजेंसियों की होती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के मामले में, "अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावास" योजना के अंतर्गत, वर्ष 2016-17 तक अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही थी। योजनाओं के युक्तिकरण के एक भाग के रूप में, छात्रावासों के निर्माण हेतु हस्तक्षेप को 2018-19 से 'जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से टीएसएस)' और 'संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान' योजनाओं के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। 2024-25 से सरकार ने "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)" नामक एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन्हें छात्रावासों के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करता है। डीएजेजीयूए के अंतर्गत राज्यवार स्वीकृत छात्रावासों की कुल संख्या **संलग्नक-II** में दी गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों का कार्यान्वयन, प्रशासन और रखरखाव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत, मौजूदा छात्रावासों के उन्नयन या विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा नए छात्रावासों के निर्माण के लिए केवल नए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है, जो आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षणों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सिफारिशों पर आधारित होते हैं। तथापि, क्रियाशील छात्रावासों की मरम्मत के लिए केंद्रीय सहायता, छात्रावास के संचालन के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार, कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान की जाती है। यह 50 छात्रों वाले छात्रावास के लिए अधिकतम 5.00 लाख रुपये, 100 छात्रों वाले छात्रावास के लिए 10.00 लाख रुपये, 150 छात्रों वाले छात्रावास के लिए 15.00 लाख रुपये आदि तक सीमित है।

संलग्नक

भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास की स्थिति पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1535 के संबंध में संलग्नक

वित्त वर्ष 2007-08 से पीएम-अजय (पूर्ववर्ती बीजेआरसीवाई) के छात्रावास घटक के अंतर्गत स्वीकृत अनुसूचित जाति के छात्रावासों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत छात्रावासों की कुल संख्या		स्वीकृत धनराशि (रुपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	पूर्ण हो चुके छात्रावासों की संख्या
		बालिका	बालक			
1	आंध्र प्रदेश*	20	13	9,654	3265	5
2	असम	20	24	6,323.45	2924	36
3	बिहार*	7	12	2,268.40	1890	16
4	छत्तीसगढ	28	20	1,996.83	2420	46
5	गुजरात	8	9	2,332.13	3270	17
6	हरियाणा	13	3	2,658.65	1740	14
7	हिमाचल प्रदेश*	5	4	2,385.90	1125	7
8	जम्मू और कश्मीर	3	2	6,02.66	400	4
9	झारखंड	8	13	9,63.05	1450	16
10	कर्नाटक	18	27	4,939.90	3136	35
11	केरल	2	7	1,349.83	730	9
12	मध्य प्रदेश	49	38	13964.56	6650	77
13	महाराष्ट्र*	27	32	7,648.71	5273	55
14	मणिपुर	20	4	5,126.44	2155	16
15	मिजोरम	3	0	1,575.00	450	0
16	नागालैंड	9	0	4,365.00	1350	0
17	ओडिशा *	161	16	6,330.81	14834	169
18	पुदुचेरी	3	1	1,000.00	500	1
19	पंजाब	11	4	2,889.99	1226	15
20	राजस्थान	36	68	8,851.94	4475	101
21	सिक्किम	5	1	2,100.00	600	4
22	तमिलनाडु	20	30	4,269.92	4641	45
23	तेलंगाना	8	3	2,305.00	1500	4
24	त्रिपुरा	7	1	1,479.56	520	5
25	उत्तर प्रदेश	16	16	5,097.81	2734	24
26	उत्तराखंड *	3	3	1,044.42	350	2
27	पश्चिम बंगाल	34	14	8,626.34	5021	48
	कुल	**544**	**365**	**1,12,150.3**	**74,629**	**771**

*आंध्र प्रदेश में 3 छात्रावास, बिहार में 3 छात्रावास, हिमाचल प्रदेश में 2 छात्रावास, ओडिशा में 2 छात्रावास, उत्तराखंड में 1 छात्रावास और महाराष्ट्र में 2 छात्रावास रद्द कर दिए गए हैं और उनकी राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा डीडी के माध्यम से वापस कर दी गई है।

संलग्नक-II

30 जून, 2025 तक डीएजेजीयूए के तहत स्वीकृत छात्रावासों के राज्यवार नए निर्माण का विवरण।

क्र.सं.	राज्य	छात्रावासों की संख्या
1.	असम	50
2.	छत्तीसगढ	186
3.	हिमाचल प्रदेश	4
4.	मध्य प्रदेश	44
5.	ओडिशा	92
6.	तमिलनाडु	2
7.	आंध्र प्रदेश	31
8.	गुजरात	43.
9.	झारखंड	43
10.	केरल	2
11.	महाराष्ट्र	63
12.	राजस्थान	32
13.	अरुणाचल प्रदेश	01
14.	त्रिपुरा	20
15.	सिक्किम	07
	कुल	**620**

*****